

अपील प्रकरण क्रमांक 165/बो.प्र./नि.सहा./2021

अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार उमरे
सबरस होटल के पीछे
चंद्रा कालोनी, राजनांदगांव
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)
पिन - 491441
मो.नं. - 7089595325

विरुद्ध

उत्तरवादी
श्री एल.बी. शाह
जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 27.12.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अनिल कुमार उमरे के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2021 जो कार्यालय में दिनांक 02.12.2021 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 27.12.2021 को कक्ष क्र. FA-6, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री एल. बी.शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे। अपीलार्थी श्री अनिल कुमार उमरे, बिना सूचना के अनुपस्थित थे। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया था, परन्तु वे अनुपस्थित थे। मोबाईल फोन 7089595325 पर श्री यू.एस. दिवान, स्टेनो द्वारा संपर्क स्थापित करने पर उनके द्वारा अन्य तिथि की मांग की गई थी। परन्तु प्रकरण पर निर्धारित समय-सीमा में निर्णय दिया जाना आवश्यक होता है। अतः इस प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है।

2 प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को विभाग में पदस्थ श्री अरविन्द कुमार कुम्भारे के बारे में 3 बिन्दु की जानकारी क्रमशः (1) संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित छायाप्रति (2) मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) की प्रमाणित छायाप्रति (3) किस वर्ग (SC/ST/OBC/GEN) से नियुक्ति की गई है, उनकी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, समय-सीमा के अंदर प्रदान करने हेतु दिनांक 18.10.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जनसूचना अधिकारी द्वारा इस बारे में संबंधित अधिकारी श्री अरविन्द कुमार कुम्भारे, स्टेनो कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) (जिन्हें आगे तृतीय पक्ष उद्बोधित किया जावेगा) को कार्यालयीन पत्र दिनांक 26.10.2021 द्वारा जानकारी देने हेतु सहमति पत्र लिखा गया, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा उनके पत्र दिनांक 27.10.2021 से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु असहमति व्यक्त की गई। इस बाबत उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/113/छ.ग./2021/9011 दिनांक 27.10.2021 से अपीलार्थी को सूचित किया कि संबंधित अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा 8 (1) (j) के तहत देने में असहमति व्यक्त किया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील उनके पत्र दिनांक 30.11.2021, जो कार्यालय में दिनांक 02.12.2021 को प्राप्त हुआ, प्रस्तुत की गई है।

3. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

4 जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत पत्र दिनांक 16.12.2021 में लेख किया गया था कि तृतीय पक्ष द्वारा असहमति व्यक्त करने पर कार्यालयीन पत्र दिनांक 27.10.2021 द्वारा अपीलार्थी को इस बाबत समय-सीमा में सूचित कर दिया गया।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है ? इस संबंध में यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत कार्यवाही करते हुए तृतीय पक्ष को जानकारी प्रदाय हेतु सहमति/असहमति के संबंध में पत्र लिखा गया। तृतीय पक्ष द्वारा असहमति व्यक्त किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदाय नहीं की गई।

6. किसी शासकीय सेवक की शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी उस शासकीय सेवक की व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। तत्संबंध में अधिनियम की धारा 8 (1) (J) का उद्धरण निम्नानुसार है :-

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी -

(J) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

अतः अधिनियम की उक्त धारा 8 (1) (J) के तहत किसी शासकीय सेवक की शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी नहीं प्रदान किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त 2013 1 SCC 212" एवं "आर.के. जैन बनाम भारत संघ 2013 14 SCC 794" में प्रतिपादित सिद्धांत के तहत किसी शासकीय सेवक के व्यक्तिगत विवरण को अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत छूट की श्रेणी में माना है। इसके अलावा विचाराधीन अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा फर्जी जाति के आधार पर नौकरी हासिल किये जाने की आशंका व्यक्त की गई है। अतः आशंका के आधार पर इसे व्यापक लोक हित का मामला शामिल होना नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अपीलार्थी को इस बाबत आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया के तहत सक्षम फोरम में वाद दायर किया जाना चाहिए। एक अन्य प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी बनाम सुभाषचंद्र अग्रवाल 2020 5 SCC 481" के पैरा 59 में व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :-

[59] Reading of the aforesaid judicial precedents, in our opinion, would indicate that personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, are all treated as personal information. Similarly, professional records, including qualification, performance, evaluation reports, ACRs, disciplinary proceedings, etc. are all personal information. Medical records, treatment, choice of medicine, list of hospitals and doctors visited, findings recorded, including that of the family members, information relating to assets, liabilities, income tax returns, details of investments, lending and borrowing, etc. are personal information. Such personal information is entitled to protection from unwarranted invasion of privacy and conditional access is available when stipulation of larger public interest is satisfied. This list is indicative and not exhaustive.

इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी यथा शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित छायाप्रति तथा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत छूट की श्रेणी में आते हैं।

(3)

7. अब प्रश्न यह है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) की प्रमाणित छायाप्रति भी क्या व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आती है ? किसी शासकीय सेवक की मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) नियोजक द्वारा जारी एक शासकीय दस्तावेज है, जिसके आधार पर अनुशंसित उम्मीदवार द्वारा अपनी सेवाएं शासकीय कार्य हेतु दी जाती हैं। अतः इसे व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। इसलिए मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) अपीलार्थी को प्रदाय किये जाने की पात्रता है।

8. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :-

(1) अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी यथा शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित छायाप्रति तथा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत छूट की श्रेणी में आने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकती हैं।

(2) मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) की प्रमाणित छायाप्रति व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में नहीं होने के कारण अपीलार्थी को प्रदाय किये जाने की पात्रता है। अतः जन सूचना अधिकारी उक्त जानकारी अपीलार्थी को 15 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावे।

उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रथम अपील निराकृत की जाती है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से क्षुब्ध पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.), पिन-492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

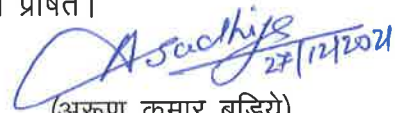
(अरुण कुमार बड़िये)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्र. 165/बो.प्र./नि.स./2021/.....10929

नवा रायपुर, दिनांक 28/12/2021

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाइट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री एल.बी. शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अनिल कुमार उमरे, सबरस होटल के पीछे, चंद्रा कालोनी, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन - 491441 मोबाईल नंबर - 7089595325 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(अरुण कुमार बड़िये)

अधीक्षण अभियंता (बोधी) एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



